संख्या 7-1848/30-4-13-220/99टी0सी0

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2013

विषय:- प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत रूप से निजी वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अत्यधिक संख्या में अनधिकृत निजी वाहन अवैध तरीके से संचालित किये जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश अनधिकृत निजी वाहन कान्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट प्राप्त कर अवैध रूप से स्टेट कैरिज के रूप में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों के समीप अवैधानिक रूप से स्थापित निजी बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड से प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित होकर शासन को कर राजस्व की क्षति पहुंचाते हैं। यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अनधिकृत निजी वाहनों का संचालन प्राय: अप्रशिक्षित चालकों द्वारा किया जाता है, जिनके द्वारा सड़क मार्गों पर वाहन रोककर यात्रियों को बैठाने के कारण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। वाहनों में ओवरलोडिंग भी होती है तथा संचालन में आपसी प्रतिस्पर्धा एवं अनियंत्रित ढंग से वाहन संचालन के कारण गम्भीर दुर्घटनाओं की सम्भावना से यात्रियों के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। अनधिकृत वाहनों के संचालन से परिवहन निगम को अपेक्षित आय से भी वंचित रहना पड़ता है।

शासनादेश सं0 3944टी/30-4-के0एम0/78 दिनांक 21.09.1978 तथा शासनादेश सं0 2045/30-4-99-220/99 दिनांक 01.07.1999 द्वारा प्राइवेट मोटर वाहन यथा निजी बस, मिनी बस, टैक्सी, टैम्पों स्टैण्ड, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से कम से कम 01 कि0मी0 की दूरी पर स्थापित कराये जाने के आदेश दिये गये थे परन्तु आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनधिकृत वाहन के संचालन को प्रतिबन्धित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारियों से

http://shasanadesh.up.nic.in/

समन्वय कर, परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह न्यून्तम एक सप्ताह सघन संयुक्त चेंकिग अभियान चलाया जाये तथा परिवहन निगम के बस अड्डों से 01 कि0मी0 की परिधि में स्थापित निजी बस स्टैण्डों को शासनादेशानुसार विस्थापित कराया जाय। इस अभियान की तिथि जिलाधिकारी द्वारा नियत की जायेगी एवं संयुक्त चेकिंग अभियान की प्रगति की सूचना सम्बन्धित परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या-1848/30-4-13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/